


02.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन  
पाया वादी व वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे  
कोई कार्यवाही नही चाही जा रही है वादी व वादी  
अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज  
लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन  
उपस्थित नही आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के  
उपस्थित नही आने के कारण वाद पत्र वादी अदम  
पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया  
जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद  
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

102

दली दे  
पली का  
वादी  
कार्यवाही  
वक्ता के  
ले के  
स्थित नही  
स्थित न  
/अदम  
है।  
दाखिल

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
कुमानर

